उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955

{उत्तर प्रेदश अधिनियम संख्या 1, 1956}

THE U. P. PREVENTION OF COW SLAUGHTER ACT, 1955

[U. P. ACT No. 1 OF l956]

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1956}

उत्तर प्रदेश अधिनिम संख्या 33, 1958

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1961

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1961

द्वारा यथा संशोधित

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 8 सितम्बर, 1955 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 21 सितम्बर, 1955 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्पति ने दिनांक 3 दिसम्बर, 1955 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 6 जनवरी, 1955 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश गाय तथा गाय के वंश के वध के प्रतिषेध तथा निवारण करने का

अधिनियम

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में गाय तथा गाय के वंश के वध का प्रतिषेध तथा निवारण किया जाय;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषाएं

2–– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :–

{(क) ''गोमांस'' का तात्पर्य गाय के तथा ऐसे सांड़ अथवा बैल के मांस से है, जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा मांस नहीं है, जो सीलबन्द डिब्बों में हो और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आयात किया गया हो;}[2]

(ख) ''गाय'' के अन्तर्गत {***}[3] बछिया अथवा बछड़ा है;

(ग) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

{(गग) ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों से है, जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके सक्षम प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किए जायें, नियुक्त किए जाये;}[4]

(घ) ''वध'' का तात्पर्य किसी भी रीति से मारण से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है, जिससे सामान्य रूप में, मृत्यु हो जाय;

---

1. उदेश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 30 मार्च 1955 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1958 की धारा 2 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा निकाले गये।
4. उपर्युक्त की धारा 2 (3) द्वारा जोड़ा गया।

(ड.) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; तथा

(च) ''अलाभकर गाय'' के अन्तर्गत भटकती हुई, अरक्षित, दुर्बल, अक्षम, रूग्ण अथवा बंध्या गाय है

3–– {(1) उन दशाओं को छोड़ कर, जिनके लिये कि यहां आगे व्यवस्था है, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी स्थान में–––

(क) गाय का; अथवा

(ख) सांड़ या बैल का, जब तक कि उसने उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से, जहां कि उस सांड या बैल का वध किया जाना है, उसके सम्बन्ध में यह लिखित प्रमाण–पत्र कि वह वध करने के योग्य है, प्राप्त न कर लिया हो;

न तो वध करेगा और न वध करवायेगा न उसे वध के लिये प्रस्तुत करेगा या करवायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात हो अथवा कोई प्रतिकूल रूढ़ि अथवा प्रथा हो।

(2) किसी सांड़ या बैल का, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) (ख) के अधीन प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है, प्रमाण–पत्र में व्यक्त स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर {***}[2] वध नहीं किया जायगा।

(3) सक्षम अधिकारी द्वारा उपधारा (1) (ख) के अधीन प्रमाण–पत्र केवल तब दिया जायेगा जबकि वह कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् यह प्रमाणित कर दे कि––

(क) {सांड या बैल पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु का है; अथवा}[3]

(ख) वह सांड़ प्रजनन कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है या वह बैल भार–वहन तथा किसी प्रकार तथा किसी प्रकार के कृषि–कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि स्थायी अयोग्यता या अनुपयोगिता जानबूझ कर उत्पन्न न की गई हो।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (3) के अधीन प्रमाण–पत्र जारी करने अथवा प्रमाण–पत्र जारी करना अस्वीकृत करने से पूर्व अपनी आज्ञा को लेखबद्ध करेगा {***}[4] ।

(5) राज्य सरकार किसी भी समय इस धारा के अधीन किये गये कार्य की वैधता या उसके औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से किसी भी मामले का अभिलेख मंगा सकती है तथा उसकी जांच कर सकती है और उस पर ऐसी आज्ञा दे सकता है, जो वह उचित समझे।

(6) यहां दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन किया गया कोई भी कार्य अन्तिम होगा और उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।}[1]

रोगी अथवा प्रयोगावीन गायों के संबध में धारा 3 का प्रवृत्त न होगा

4–– (1) धारा 3 की कोई भी बात किसी ऐसी {गाय, सांड अथवा बैल}[5] के वध पर प्रवृत्त न होगी :–

(क) जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञप्ति किसी सांस्पर्शिक अथवा सांसर्गिक रोग से पीड़ित हो, अथवा

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17, 1961 की धारा 2(1) द्वारा निकाले गये।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1958 की धारा 2(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 2(3) द्वारा निकाल दिया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) जो चिकित्सकीय अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी गवेषणा के हित में प्रयोगाधीन हो,

जबकि वध उन शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार किया जाय, जो नियत कि जायं।

(2) जब उपधारा (1) के खण्ड (क) में वर्णित कारणवश किसी {गाय, सांड अथवा बैल}[1] का वध किया जाय तो वह व्यक्ति जो ऐसी {गाय, सांड अथवा बैल}[1] का वध करे अथवा वध करवाये, वध के चौबीस घंटे के भीतर, सन्निकट थाने में अथवा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष जो नियत किया जाय, तत्सम्बन्धी सूचना देगा।

(3) उस {गाय, सांड अथवा बैल}[1] का शव, जिसका उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन वध किया गया हो ऐसी रीति से दफनाया अथवा निस्तारित किया जायगा, जो नियत की जाय।

गोमांस बेचने का प्रतिषेध

5–– यहां पर दिये गये अपवाद को छोड़कर तथा समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किस बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति सिवाय ऐसे चिकित्सकीय प्रयोजनों के निमित्त जो नियत किये जायं, किसी भी रूप में गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ न बेचेगा, न परिवहन करेगा, न बेचने अथवा परिवहन के लिए प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा।

अपवाद– वायुयान के अथवा रेलवे ट्रेन के वास्तविक यात्री द्वारा उपभोग के लिये कोई भी व्यक्ति गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ बेंच सकता है तथा भोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है, अथवा बिकवा और भेाजनार्थ प्रस्तुत करवा सकता है।

गाय आदि के परिवहन का विनियमन

{5–क–– (1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को, सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुज्ञा–पत्र के और सिवाय ऐसी अनुज्ञा–पत्र के निबन्धन और शर्तों के अनुसार, किसी गाय, सांड या बैल का, जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर वध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, न तो परिवहन करेगा, न परिवहन करने के लिए प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा।

(2) ऐसा अधिकारी प्रत्येक गाय, सांड या बैल के लिए पांच रूपये से अनधिक ऐसा शुल्क, जिसे नियत किया जाय, देने पर अनुज्ञा–पत्र जारी करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा, यदि गाय, सांड या बैल का परिवहन अनुज्ञा–पत्र में विनिर्दिष्ट छः मास से अनधि अवधि के लिए हो।

(3) यदि अनुज्ञा–पत्र पर सीमित अवधि के लिए गाय, सांड या बैल का परिवहन करने वाला व्यक्ति अनुज्ञा–पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी गाय, सांड या बैल को राज्य में वापस न लाये तो यह समझा जायगा कि उसने उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(4) अनुज्ञा–पत्र का प्रारूप, उसके लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप और ऐसे आवेदन–पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी नियत की जाय।

(5) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, किसी समय, किसी मामले के अभिलेख को मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और ऐसा आदेश उस पर दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।}[2]

संस्थाओं की स्थापना

6–– राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये जाने पर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अलाभकर गायों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थाएं स्थापित करेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1958 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24 वर्ष 1979 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

परिव्ययों अथवा शुल्कों का आदेश किया जाना

7–– राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, संस्थाओं में अलाभकर गायों को रखने के निमित्त ऐसा परिव्यय अथवा शुल्क आदेय कर सकती है, जो नियत किया जाय।

शास्ति

8–– (1) जो कोई भी व्यक्ति धारा 3 अथवा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करे अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करे अथवा उल्लंघन का प्रवर्तन करे तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो कठिन कारावास के दण्ड द्वारा जो दो वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड द्वारा जो एक हजार रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई भी व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (2) में वर्णित रीति से तथा समय के भीतर सूचना प्रस्तुत न करे {या धारा 5 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करे}[4] तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो साधारण कारावास के दण्ड द्वारा जो एक वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थ–दण्ड द्वारा जो दो सौ रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराधों पर विचार करते समय इस बात को सिद्ध करने का भार कि वध की हुई गाय धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट वर्ग की थी, अभियुक्त पर होगा।

अपराध हस्तक्षेप्य तथा अप्रतिभाव्य होंगे

9–– कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 में किसी बात के होते हुए भी धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय उपराध हस्तक्षेप्य तथा अप्रतिभाव्य होंगे।

नियम बनाने का अधिकार

10–– (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को न बाधित करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :–

(क) दशायें तथा परिस्थितियां, जिनमें धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन {गायों, सांड़ो अथवा बैलों}[1] का वध किया जायगा;

{(कक) धारा 3 के अधीन प्रमाण–पत्र का प्रपत्र तथा आवेदन–पत्रों {***}[3] के निस्तारण की प्रक्रिया;}[2]

(ख) रीति, जिससे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन रोग विज्ञापित किये जायेंगे;

(ग) रीति, जिससे धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सूचना प्रस्तुत की जायेगी;

(घ) रीति, जिससे तथा प्रतिबन्ध, जिनके अधीन गोमांस अथवा तज्जनय पदार्थ धारा 5 के अधीन बेचे जायें अथवा बेचे और भोजनार्थ प्रस्तुत किये जायं;

(ङ) धारा 6 में अभिदिष्ट संस्थाओं के अधिष्ठान रख–रखाव, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण से संबद्ध विषय;

(च) इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य, ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(छ) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले है और नियत किये जायं।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1958 की धारा 5(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1958 की धारा 5 (2) द्वारा जोड़ा गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7, 1961 की धारा 3 द्वारा निकाले गये।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24 वर्ष 1979 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE U. P. PREVENTION OF COW SLAUGHTER ACT, 1955[1]
[U. P. ACT No. I OF l956]

As amended by the
U. P. ACT No. XXXIII OF 1958
U. P. ACT No. XVII OF 1961
U. P. ACT No. XXIII OF 1961

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assemble on September 8, 1955 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 21, 1955.

Received the assent of the President on December 3, 1955, under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated January 6, 1956.]

AN

ACT

to prohibit and prevent the slaughter of cow and its progeny in Uttar Pradesh

WHEREAS it is expedient to prohibit and prevent the slaughter of cow and its progeny in Uttar Pradesh;

It is hereby enacted in the sixth year of the Republic of India as follows:

Short title, extent and commencement

1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context : --

[(a) "beef" means flesh of cow and of such bull or bullock, whose slaughter is prohibited under this Act, but does not include such flesh contained in sealed containers and imported as such into Uttar Pradesh ;][2]

(b) "cow" includes a [* * *][3] he ifer or calf;

(c) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

[(cc) "competent authority" means the person or persons appointed in this behalf by the State Government by notification in the official Gazette to exercise the powers and perform the functions of a competent authority under this Act or the Rules made thereunder for such area or areas and for such period as may be specified in the notification ;][4]

(d) "slaughter" means killing by any method what so ever and includes maiming and inflicting of physical injury which in the ordinary course will cause death ;

---

1. For S.O.R. see U. P. Gazette, Extraordinary, dated March 30, 1955.
2. Subs. by section 2(1) of U. P. Act XXXIII of 1958,
3. Del by section 2(ii) of U. P. Act XXXIII of 1958.
4. Add by section 2(iii) of U. P. Act XXXIII of 1958.

(e) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh; and

(f) "Uneconomic cow" includes stray, unprotected, infirm, disabled, diseased or barren cow.

3- [(1) Except as hereinafter provided, no person shall slaughter or cause to be slaughtered, or offer or cause to be offered for slaughter-

(a) a cow, or

(b) a bull or bullock, unless he has obtained in respect then of a certificate in writing, from the competent authority of the area in which the bull or bullock is to be slaughtered, certifying that it is fit for slaughter,

in any place in Uttar Pradesh; anything contained in any other law for the time being in force or an usage or custom to the Contrary notwithstanding.

(2) No bull or bullock, in respect of which a certificate hail been issued under sub-section (1) (b) shall be slaughtered at any place other than the place indicated in the certificate [***][2].

(3) A certificate under sub-section (1) (b) shall be issued by the competent authority, only after it has, for reasons to be recorded in writing, certified that-

[(a) the bull or bullock is over the age of fifteen years, or][3]

(b) in the case of a bull, it has be come permanently unfit and unserviceable for the purpose of breeding and, in the case of a bullock, it has become permanently unfit and unserviceable for the purposes of drought and any kind of agricultural operation:

Provided that the permanent unfitness or un service ability has not been caused deliberately.

(4) The competent authority shall, before issuing the certificate under sub-section (3) or refusing to issue the same, record its order in writing. [***][4]

(5) The State Government may, at any time, for the purposes of satisfying itself as to the legality or propriety of the action taken under this section, call for and examine the record of any case and may pass such orders thereon as it may deem fit.

(6) Subject to the provisions herein contained, any action taken under this section, shall be final and conclusive and shall not bit called in question.][1]

Section 3 not to apply to diseased, to under experi-mentation cows

4- (1) nothing in section 3 shall apply to the slaughter of a [cow, bull or bullock][5] --

(a)Which is suffering from any contagious or infectious diseases notified as such by the State Government; or

---

1- Subs. by section 3 of U. P. Act XXXIII of 1958.
2- Del. by section 2(i) of U. P. Act XVII of 1961.
3- Subs. by section 2(ii) of U, P. Act XXXIII of 1958.
4- Del. by section 2(iii) ibid.
5- Subs. by section 4 ibid.

(b) which is subject to experimentation in the interest, of medical and public health research,

where the slaughtering is done in accordance with the conditions and circumstances to be prescribed.

(2) Where a [cow, bull or bullock][1] is slaughtered for the reasons stated in clause (a) of sub-section (1) the person who slaughters or causes to be slaughtered such [cow, bull or bullock][1] shall within twenty-four hours of the slaughter, lodge information of the same at the nearest Police Station or before such Officer or authority as may be prescribed.

(3) The carcase of the [cow, bull or bullock][1] slaughtered under clause (a) of sub-section (1) shall be buried or disposed of in such manner as may be prescribed.

Prohibition on sale of beef

5- Except as herein accepted and notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force no person shall sell or transport or offer for sale or transport or cause to be sold or transported beef or beef-products in any form except for such medicinal purposes as may be prescribed.

Exception-- A person may sell and serve or cause to be sold and served beef or beef-products for consumption by a bona fide passenger in an air-craft or railway train.

[Regulation on transport of cow etc.

5-A (1) No person shall transport or offer for transport or cause to be transported any cow, or bull or bullock, the slaughter whereof in any place in Uttar Pradesh is punishable under this Act, from any place within the State to any place outside the State, except under a permit issued by an officer authorized by the State Government in this behalf by notified order and except in accordance with the terms and conditions of such permit.

(2) Such officer shall issue the permit on payment of such fee not exceeding five rupees for every cow, bull or bullock for a limited period not exceeding six months as may be specified in the permit.

(3) Where the person transporting a cow, bull or bullock on a permit for a limited period does not being back such cow, bull or bullock into the State within the priod specified in the permit, he shall be deemed to have contravenced the provision of sub-section (1).

(4) The form of permit, the form of application therefor and the procedure for disposal of such application shall be such as may be prescribed.

(5) The State Government or any authorized by it in this behalf by general or special notified order, may, at any time for the purpose of satisfying itself or himself, as to the legality or propriety of the action taken under this section call for and examine the record of any case and pass such orders thereon as it or he may deem fit.][2]

Establishment of institutions

6- There shall be established by the State Government or by any local authority wherever so directed by the State Government, institutions as may be necessary for taking care of uneconomic Cows.

---

1. Subs. by section 4 of U. P. Act XXXIII of 1958.
2. Added by section 2 of U.P. Act No. 24 of 1979.

Levy of charges or fees

7- The State Government or the local authority as the case may be, may levy such charges or fees as may be prescribed for keeping uneconomic cows in the institutions.

Penalty

8- (1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or 5 shall be guilty of an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) Whoever fails to lodge the information in the manner and within the time stated in sub-section (2) of section 4 [or contravene the provision of sub-section (1) of section 5-A][4] shall be guilty of an offence punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to two hundred rupees or with both.

(3) In any trial for an offence punishable under sub-section (1) or sub-section (2) the burden of proving that the slaughtered cow belonged to the class specified in clause (a) of sub-section (1) of section 4 shall be on the accused.

Offences to be cognizable and nonbailable

9- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, an offence punishable under sub-section (1) of section 8 shall be cognizable and non-bailable.

Power to make rules

10- (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of foregoing powers, such rules may provide for-

(a) the conditions and the circumstances under which [Cows, bulls or bullocks][1] are to be slaughtered under sub-section (1) of section 4;

[(aa) form of certificate, and the procedure for disposal of the applications [* * *][3] under section 3;] [2]

(b) the manner in which diseases shall be notified under subsection (l) (a) of section 4 ;

(c) the manner in which the information shall be lodged under sub-section (2) of section 4: ;

(d) the manner in which and conditions under which beef or beef-products are to be sold or Bold and served under section 5 ;

(e) the matters relating to the establishment, maintenance, management, supervision and control of institutions referred to in section 6 ;

(f) the duties of any office or authority having jurisdiction under this Act, the procedure to be followed by such office or authority ; and

(g) the matters which are to be and may be prescribed.

---

1. Subs. by section 5 (i) of U. P. Act XXXIII of 1958.
2. Add. by section 5(2) of U. P. Act XXXIII of 1958.
3. Del. by section 3 of U. P. Act XVII of 1961.
4. Substituted by section 3 of U.P. Act No. 24 of 1979.